

जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नयिम 2022

प्रलिस के लयि:

जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नयिम 2022

मेन्स के लयि:

जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नयिमों की वशिषताएँ, जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नयिमों से संबंघति चतिाएँ

चरचा में क्योँ?

हाल ही में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने "जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नयिम 2022" को अधिसूचति कयि है, जसिने [केंद्रशासति प्रदेश \(UT\)](#) में लीज पर संपत्तरिखने के मालकिों के अधिकार को समाप्त कर दयि है और यह इन संपत्तयिों को नए सरि से ऑनलाइन आउटसोर्स करने की योजना है।

जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नयिम 2022 की मुख्य वशिषताएँ:

- नए कानूनों ने "जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नयिम 1960" को प्रतसिथापति कयि, जसिमें उदार लीज नीति थी, जैसे कि 99 वर्ष की लीज अवधति और वसितार योग्य।
 - घाटी में सथति प्रसदिध परयटन सथलों के अधकिंश होटल और जम्मू एवं श्रीनगर में प्रमुख वयावसायकि संरचनाएँ लीज की भूमि पर हैं।
- नए कानूनों में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नयिम 1960, अधिसूचति कषेत्र (परयटन कषेत्र में सथापति सभी वकिस प्रराधकिरण) भूमि अनुदान नयिम, 2007 और इन नयिमों के लागू होने से पहले या इन नयिमों के तहत जारी कयि गए पट्टे सहति नरिवाह या समाप्त हो चुके आवासीय पट्टों को छोड़कर अन्य कोई पट्टे नवीनीकृत व नरिधारति नहीं कयि जाएंगे।
 - उपराज्यपाल प्रशासन ने इन लीज संपत्तयिों को आउटसोर्स करने के लयि एक नई ऑनलाइन नीलामी आयोजति करने की योजना बनाई है।
- सभी जावक पट्टेदार लीज पर ली गई भूमि का कबज़ा तत्काल सरकार को सौंप देंगे, ऐसा न करने पर पट्टेदार को बेदखल कर दयि जाएगा।
- जम्मू-कश्मीर के भूमि कानून प्रतगिामी थे

नयिमों का वरिोध:

- कुछ राजनीतिक दलों ने तरक दयि है कि पेश कयि गए नए भूमि अनुदान नयिम-2022 छह से सात लाख लोगों के लयि [बेरोजगारी](#) के दायरे को बढ़ाएगा और केवल जम्मू-कश्मीर में होटल तथा वाणजियकि प्रतषिठान खरीदने हेतु बाहर से आने वाले करोड़पतयिों और पूंजीपतयिों के लयि मार्ग प्रशस्त करेगा।
 - नवीन भूमि अनुदान नयिमावली-2022 द्वारा वर्तमान भू-स्वामयिों का अधिकार समाप्त कर उसे बाज़ार मूल्य पर वकिरय कयि जाएगा। देश के बाकी हसिसों के करोड़पतयिों और अरबपतयिों की तुलना में स्थानीय वयावसाययिों की करय शक्ति नागण्य है।
- इसके कारण बैंक ऋण वाले वर्तमान मालकिों को ऋण चुकाने के लयि अपना घर बेचने हेतु मजबूर होना पड़ेगा।
 - जम्मू-कश्मीर बैंक से लयि गया वर्तमान बैंक उधार 60,000 करोड़ रुपए है, जो 1990 के दशक के बाद से अशांत समय से बचने के लयि स्थानीय लोगों द्वारा लयि गए ऋणों का एक संकेतक है

नयिमों से संबंघति प्रशासन के दावे:

- जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दावा कयि है कि भूमि कानूनों में संशोधन से कोई भी गरीब प्रभावति नहीं होगा। बाहय वधिका शासन यहाँ भी लागू करना होगा।
- 100 करोड़ रुपए की संपत्तयिों थी, जनिहें भुगतान के रूप में 5 रुपए के लयि पट्टे पर दयि जा रहा था, ऐसे लोग ही संशोधनों से चतिति हैं। नए नयिम

जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिये हैं।

- लेफ्टनेट गवर्नर ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में भूमि कानून प्रतिगामी थे और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए गए थे।
वभिन्न न्यायालयों में लगभग 40% - 45% मामले केवल भूमि विवाद से संबंधित हैं।

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/j-k-land-grant-rules-2022>

